



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक— 8 बजट (1) 17/2025.....11.5.25 आ०

दिनांक—02/01/2025

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं० 02, राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403-पशुपालन, 101-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य, 0101- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403001010101, 2403-पशुपालन, 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0111- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403007890111 एवं 2403-पशुपालन, 796- जनजातियों के लिए उपयोजना, 0130- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403007960130 के अन्तर्गत कुल ₹1,12,72,500/- (एक करोड़ बारह लाख बहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 1973 दिनांक 05.05.2025 के आलोक में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 62(नि०) आ० दिनांक 27.08.2025 के क्रम में संलग्न विवरणी- I, II एवं III के अनुसार क्रमशः ₹ 85,39,800/- (पचासी लाख उनचालीस हजार आठ सौ) मात्र, ₹ 22,07,000/- (बाईस लाख सात हजार) मात्र एवं ₹ 5,25,700/- (पाँच लाख पच्चीस हजार सात सौ) मात्र कुल ₹ 1,12,72,500/- (एक करोड़ बारह लाख बहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403-पशुपालन, 101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य, 0101- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403001010101, 2403-पशुपालन, 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0111- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403007890111 एवं 2403-पशुपालन, 796- जनजातियों के लिए उपयोजना, 0130- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403007960130 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये राज्य स्कीम के तहत पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य के अन्तर्गत पशुक्रूरता निवारण के अन्तर्गत पशु तस्करी के क्रम में पकड़े गये अथवा Rescue (बचाव) किये गये पशुओं, बेसहारा पशुओं, बाढ़/सुखाड़ के दौरान एवं अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में पशुओं को चारा-दाना, भोजन, राहत देने की तत्काल आवश्यकता के साथ ही पटना एवं गया शहरी क्षेत्रों में बेसहारा पशुओं के आश्रय स्थलों (गोशाला) में रखकर चारा-दाना, रख-रखाव, पशु दवा इत्यादि व्यवस्था पर होने व्यय को वहन करने की योजना के लिए दिया जा रहा है।

20

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 227/वि०, दिनांक 28.03.2024, पत्रांक 235/वि० दिनांक 01.04.2025 एवं पत्रांक 950/वि० दिनांक 12.12.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्यपण प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

5. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 17/2025 11.5.25 आ०/

पटना-15, दिनांक 02/01/2025

प्रतिलिपि- उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी०ए०-57-96-97-प०पा०-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 पार्ट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा-09/योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

विवरण-1

विभागीय राज्यादेश संख्या 1973 दिनांक 05.05.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट शीर्ष-2403 पशुपालन, राज्य स्कीम 101-पशु-चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु-स्वास्थ्य 0101-अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड-02-2403001010101 के अन्तर्गत पशुक्रूरता निवारण एवं पशु राहत के तहत पशुक्रूरता/ पशु की तस्करी के क्रम में पकड़े गये पशुओं, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पशुओं एवं बेसहारा पशुओं, पटना शहर की सड़कों पर यत्र-तत्र घुमने वाली गायों को गोशाला में रखने तथा गया शहर में पितृपक्ष मेला के दौरान यत्र-तत्र घुमने वाले पशुओं के चारा-दाना/ भोजन/ रख-रखाव, पशुदवा एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाले व्यय को वहन करने की योजना हेतु आवंटन की विवरणी :-

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	0101.13.01 कार्यालय व्यय			0101. 21.01 सामग्री एवं पूर्त्तियाँ			कुल आवंटन (रूपये में)		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना	0	0	0	41,12,000	58,88,000	1,00,00,000	41,12,000	58,88,000	1,00,00,000
3	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	97,500	52,500	1,50,000
4	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भोजपुर	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	1,46,300	78,700	2,25,000
5	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	1,46,300	78,700	2,25,000
6	जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास	0	0	0	5,46,300	78,700	6,25,000	5,46,300	78,700	6,25,000
7	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कैमुर	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	1,46,300	78,700	2,25,000
8	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया	0	0	0	3,90,000	2,10,000	6,00,000	3,90,000	2,10,000	6,00,000
9	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	97,500	52,500	1,50,000
10	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अरवल	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	97,500	52,500	1,50,000
11	जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	1,46,300	78,700	2,25,000
12	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	1,46,300	78,700	2,25,000
13	जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	1,46,300	78,700	2,25,000
14	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीवान	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	1,46,300	78,700	2,25,000
15	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	1,46,300	78,700	2,25,000
16	जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	97,500	52,500	1,50,000
17	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	1,46,300	78,700	2,25,000
18	जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	97,500	52,500	1,50,000
19	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	97,500	52,500	1,50,000
20	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	97,500	52,500	1,50,000

३०

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	0101.13.01 कार्यालय व्यय				0101.21.01 सामग्री एवं पूर्ति				कुल आवंटन (रूपये में)		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	5	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	7	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी	0	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	78,700	1,46,300	78,700	2,25,000
22	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी	0	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	78,700	1,46,300	78,700	2,25,000
23	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर	0	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	52,500	97,500	52,500	1,50,000
24	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेतिया	0	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	78,700	1,46,300	78,700	2,25,000
25	जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली	0	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	52,500	97,500	52,500	1,50,000
26	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहरसा	0	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	52,500	97,500	52,500	1,50,000
27	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल	0	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	78,700	1,46,300	78,700	2,25,000
28	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा	0	0	0	0	97,300	52,700	1,50,000	52,700	97,300	52,700	1,50,000
29	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर	0	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	78,700	1,46,300	78,700	2,25,000
30	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बाँका	0	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	78,700	1,46,300	78,700	2,25,000
31	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर	0	0	0	0	97,300	52,700	1,50,000	52,700	97,300	52,700	1,50,000
32	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई	0	0	0	0	1,46,300	78,700	2,25,000	78,700	1,46,300	78,700	2,25,000
33	जिला पशुपालन पदाधिकारी, लखीसराय	0	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	52,500	97,500	52,500	1,50,000
34	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा	0	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	52,500	97,500	52,500	1,50,000
35	जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया	0	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	52,500	97,500	52,500	1,50,000
36	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ	0	0	0	0	97,500	52,500	1,50,000	52,500	97,500	52,500	1,50,000
37	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार	0	0	0	0	1,46,000	79,000	2,25,000	79,000	1,46,000	79,000	2,25,000
38	जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज	5,50,000	0	5,50,000	0	2,46,000	79,000	3,25,000	79,000	7,96,000	79,000	8,75,000
39	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया	0	0	0	0	1,46,000	79,000	2,25,000	79,000	1,46,000	79,000	2,25,000
कुल योग :-		5,50,000	0	5,50,000	0	95,35,200	85,39,800	1,80,75,000	85,39,800	1,00,85,200	85,39,800	1,86,25,000

(पचासी लाख उनचालीस हजार आठ सौ) मात्र।

115 (सी) आ०

02/01/26

निदेशक, पशुपालन

24

विवरणी-II

विभागीय राज्यादेश संख्या 1973 दिनांक 05.05.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट शीर्ष-2403 पशुपालन, राज्य स्कीम 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 0111-अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड-02-2403007890111 के अन्तर्गत पशुक्रूरता निवारण एवं पशु राहत के तहत पशुक्रूरता/ पशु की तस्करी के क्रम में पकड़े गये पशुओं, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पशुओं एवं बेसहारा पशुओं, पटना शहर की सड़कों पर यत्र-तत्र घुमने वाली गायों को गोशाला में रखने तथा गया शहर में पितृपक्ष मेला के दौरान यत्र-तत्र घुमने वाले पशुओं के चारा-दाना/ भोजन/ रख-रखाव, पशुदवा एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाले व्यय को वहन करने की योजना हेतु आवंटन

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	0111. 21.01 सामग्री एवं पूर्तिर्थाँ		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन (रु० में)
1	2	3	4	5
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।	0	0	0
2	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना	11,23,000	15,00,000	26,23,000
3	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा	26,000	14,000	40,000
4	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भोजपुर	39,000	21,000	60,000
5	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर	39,000	21,000	60,000
6	जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास	1,89,000	21,000	2,10,000
7	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कैमुर	39,000	21,000	60,000
8	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया	1,04,000	56,000	1,60,000
9	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद	26,000	14,000	40,000
10	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अरवल	26,000	14,000	40,000
11	जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद	39,000	21,000	60,000
12	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा	39,000	21,000	60,000
13	जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा	39,000	21,000	60,000
14	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीवान	39,000	21,000	60,000
15	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज	39,000	21,000	60,000
16	जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा	26,000	14,000	40,000
17	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी	39,000	21,000	60,000
18	जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर	26,000	14,000	40,000
19	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय	26,000	14,000	40,000
20	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	26,000	14,000	40,000
21	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी	39,000	21,000	60,000
22	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी	39,000	21,000	60,000
23	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर	26,000	14,000	40,000

१९

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	0111. 21.01 सामग्री एवं पूर्तिर्थाँ		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन (रु० में)
1	2	3	4	5
24	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेतिया	39,000	21,000	60,000
25	जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली	26,200	13,800	40,000
26	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहरसा	26,000	14,000	40,000
27	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल	39,000	21,000	60,000
28	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा	26,000	14,000	40,000
29	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर	39,000	21,000	60,000
30	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बांका	39,000	21,000	60,000
31	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर	25,800	14,200	40,000
32	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई	39,000	21,000	60,000
33	जिला पशुपालन पदाधिकारी, लखीसराय	26,000	14,000	40,000
34	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा	26,000	14,000	40,000
35	जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया	26,000	14,000	40,000
36	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ	39,000	21,000	60,000
37	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार	39,000	21,000	60,000
38	जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज	39,000	21,000	60,000
39	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया	39,000	21,000	60,000
कुल योग :-		25,86,000	22,07,000	47,93,000

(बाईस लाख सात हजार) मात्र ।

115 (सि०) आ०
02/01/26

निदेशक, पशुपालन ।

Q

विवरणी-III

विभागीय राज्यादेश संख्या 1973 दिनांक 05.05.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट शीर्ष-2403 पशुपालन, राज्य स्कीम 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 0130-अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड-02-2403007960130 के अन्तर्गत पशुक्रूरता निवारण एवं पशु राहत के तहत पशुक्रूरता/ पशु की तस्करी के क्रम में पकड़े गये पशुओं, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पशुओं एवं बेसहारा पशुओं, पटना शहर की सड़कों पर यत्र-तत्र घुमने वाली गायों को गोशाला में रखने तथा गया शहर में पितृपक्ष मेला के दौरान यत्र-तत्र घुमने वाले पशुओं के चारा-दाना/ भोजन/ रख-रखाव, पशुदवा एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाले व्यय को वहन करने की योजना हेतु आवंटन की विवरणी:-

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	0130. 21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन (रु० में)
1	2	6	7	8
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।	0	0	0
2	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना	2,79,700	3,50,000	6,29,700
3	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा	6,500	3,500	10,000
4	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भोजपुर	9,800	5,200	15,000
5	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर	9,800	5,200	15,000
6	जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास	54,800	5,200	60,000
7	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कैमुर	9,800	5,200	15,000
8	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया	26,000	14,000	40,000
9	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद	6,500	3,500	10,000
10	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अरवल	6,500	3,500	10,000
11	जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद	9,800	5,200	15,000
12	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा	9,800	5,200	15,000
13	जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा	9,800	5,200	15,000
14	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीवान	9,800	5,200	15,000
15	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज	9,800	5,200	15,000
16	जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा	6,700	3,300	10,000
17	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी	9,800	5,200	15,000
18	जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर	6,500	3,500	10,000
19	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय	6,500	3,500	10,000
20	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	6,500	3,500	10,000
21	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी	9,800	5,200	15,000
22	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी	9,800	5,200	15,000
23	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर	6,500	3,500	10,000

(Handwritten Signature)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	0130. 21.01 सामग्री एवं पूर्तिर्थाँ		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन (रु० में)
1	2	6	7	8
24	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेतिया	9,800	5,200	15,000
25	जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली	6,500	3,500	10,000
26	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहरसा	6,500	3,500	10,000
27	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल	9,800	5,200	15,000
28	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा	6,500	3,500	10,000
29	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर	9,800	5,200	15,000
30	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बांका	9,800	5,200	15,000
31	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर	6,500	3,500	10,000
32	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई	9,800	5,200	15,000
33	जिला पशुपालन पदाधिकारी, लखीसराय	6,300	3,700	10,000
34	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा	6,500	3,500	10,000
35	जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया	6,500	3,500	10,000
36	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ	9,800	5,200	15,000
37	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार	9,800	5,200	15,000
38	जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज	9,800	5,200	15,000
39	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया	9,800	5,200	15,000
कुल योग :-		6,54,000	5,25,700	11,79,700

(पाँच लाख पच्चीस हजार सात सौ) मात्र ।

115 (115) आ०
02/01/26

निदेशक, पशुपालन ।